रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 418] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 21, 1976/अग्रहायण 30, 1898

No. 418] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 1976/AGRAHAYANA 30, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 21st December 1976

G.S.R. 937(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (28th Amendment) Rules, 1976.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 31, to sub-rule (1) the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that, in the case of certificate for transport of cured tobacco on which duty has not been paid,—

(i) the said certificate may be signed by such broker or commission agent as may be specifically authorised by a warehouse licensee to sign such certificate on his behalf,

(ii) all entries in the said certificate shall be made by using indelible pencil and double sided carbon;

(iii) the actual time of removal from the curing premises must be recorded in all the copies of the said certificate and the actual time of receipt at the warehouse of destination shall be recorded on the copy of the said certificate accompanying the consignment."

3. In rule 32 of the said rules, in the first proviso, for the words "Provided that", the words "Provided further that" shall be substituted and before the proviso so amended the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the said certificate may be signed by such broker or commission agent as may be specifically authorised by a warehousing licensee to sign the said certificate on his behalf:"

4. In rule 34 of the said rules, for the words "the day following", the words "the day following; or for such shorter period as the Central Board of Excise and Customs may, by order in writing direct in any particular area or in respect of any particular commodity" shall be substituted.

5. In rule 145 of the said rules,—

(1)) in the first proviso for the words "Provided that if the goods", the words and brackets "Provided further that if the goods (other than tobacco)" shall be substituted and—

(i) before the first proviso as so amended, the following proviso shall be inserted, namely:—

'Provided that in the case of tobacco this rule shall have effect as if for the words "three years" the words "two years" were substituted:";

(ii) after the first proviso as so amended, the following further proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that in the case of tobacco if the goods have not deteriorated and on sufficient cause being shown the Collector may, if he is satisfied about the condition of the goods and the genuineness of the reasons advanced for claiming extension,—

(a) permit such goods to remain in any werehouse for a further period not exceeding one year, beyond the period of two years referred to in this rule;

(b) in the case of flue cured tobacco, permit such goods to remain warehoused in such warehouse for such further period as may be specified by him in addition to the extension granted under clause (a) of this proviso;"

(2) in the last proviso—

(i) for the words "of three years" the words "of three years or two years, as the case may be," shall be substituted;

(ii) for the words "first proviso", the words "aforesaid provisos" shall be substituted;

(iii) for the words, brackets and letters "clauses (a) and (b)", the words "the aforesaid provisos" shall be substituted.

[No. 291/76-CE.]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1976

सा०का०नि० 937 (अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (28 वां संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 31 में उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु संसाधित तम्बाकू, जिस पर शुल्क नहीं दिया गया है, के परिवहन के लिए प्रमाणपत्र की दशा में—

(i) केवल ऐसा दलाल या आढ़तिया उक्त प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेगा, जिसे भाण्डागार के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उसकी ओर से ऐसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है ;

(ii) उक्त प्रमाणपत्र में सभी प्रविष्टियां अमिट पेन्सिल और दोहरे कार्बन का उपयोग करके की जाएंगी;

(iii) संसाधन परिसरों से हटाए जाने का वास्तविक समय उक्त प्रमाणपत्र की समस्त तीनों प्रतियों में अवश्य दर्ज किया जाएगा और गन्तव्य स्थान के भाण्डागार में प्राप्त होने का वास्तविक समय परेषण के साथ के उक्त प्रमाणपत्र की प्रति पर दर्ज किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 32 में प्रथम परन्तुक में "परन्तु यह" शब्दों के स्थान पर "परन्तु यह और" शब्द रखे जाएंगे तथा इस प्रकार संशोधित परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु, केवल ऐसा दलाल या आढ़तिया उक्त प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेगा, जिसे भाण्डागार के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उसकी ओर से ऐसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है ।" ।

4. उक्त नियमों के नियम 34 में "अगले दिन" शब्दों के स्थान पर "अगले दिन, या ऐसी लघुतर अवधि के लिए जैसा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष वस्तु की बाबत लिखित आदेश द्वारा निदेश दे" शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के नियम 145 में—

(1) प्रथम परन्तुक में "परन्तु यदि माल" शब्दों के स्थान पर "परन्तु यह और कि यदि (तम्बाकू से भिन्न) माल" शब्द रखे जाएंगे, और—

(i) इस प्रकार संशोधित प्रथम परन्तुक से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु तम्बाकू के मामले में इस उप-नियम का प्रभाव इस प्रकार होगा मानों "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे गए थे;

(ii) इस प्रकार संशोधित प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक और जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु, तम्बाकू के मामले में, यदि माल में अवक्षयण नहीं हुआ हो, और पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर, माल की दशा की बाबत और समय बढ़ाने के लिए दिए गए कारणों की वास्तविकता की बाबत कलैक्टर का समाधान हो जाता है तो—

(क) वह ऐसा माल इस नियम में निर्दिष्ट दो वर्ष की कालावधि के परे एक वर्ष से अनधिक और कालावधि के लिए भाण्डागार में रहने देने की अनुज्ञा दे सकता है ;

(ख) धूमसंसाधित तम्बाकू की दशा में, ऐसे माल को, ऐसी और अवधि के लिए जो उसके द्वारा इस परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन बढ़ाए गए समय के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे भाण्डागार में भाण्डागारकृत रहने के लिए अनुज्ञात कर सकता है ";

(2) अन्तिम परन्तुक में—

(i) "तीन वर्ष की" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, तीन वर्ष या दो वर्ष की" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "प्रथम परन्तुक" शब्दों के स्थान पर "पूर्वोक्त परन्तुक" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) "खण्ड (क) और (ख)" शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर "पूर्वोक्त परन्तुक" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 291/76-के०उ०शु०]

G.S.R. 938(E).—In exercise of the powers conferred under rule 139 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government in supersession of the notification of the then Finance Department (Central Revenues) No. VII-D.C. Excise dated the 28th February, 1944 hereby directs that the provision of Chapter VII of the said rules, including the provisions relating to the removal of goods from one warehouse to another shall apply to unmanufactured tobacco falling under sub-item 1 of Item 4 of First schedule to Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) subject to the condition and limitation that the number of removals of such goods from one warehouse to another shall not exceed two after the first warehousing:

Provided that in the case of flue-cured and air-cured varities used in the manufacture of cigarettes the number of removals shall be computed only after the stage of re-drying.

2. This notification shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

[No. 293/76-CE.]

K. D. TAYAL, Under Secy.

सा०का०नि० 938 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 139 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन वित्त विभाग (केन्द्रीय राजस्व) की अधिसूचना संख्या VII-घ के० उत्पाद तारीख 28 फ़रवरी, 1944 को अधिक्रान्त करते हुए निदेश देती है कि उक्त नियम के अध्याय VII के उपबन्ध, जिसमें एक भाण्डागार से दूसरे भाण्डागार में माल ले जाने से संबंधित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं, अधिनिर्मित तम्बाकू पर भी, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 4 की उपमद सं० 1 के अन्तर्गत आते हैं, इस शर्त और निबन्धन पर लागू होंगे कि एक भाण्डागार से दूसरे भाण्डागार में ऐसे मालों का अपसारण प्रथम भाण्डागारण के पश्चात् दो बार से अधिक न होगा परन्तु धूम-नाल संसाधित और वायु-संसाधित किस्म, जिनका उपयोग सिगरेट के विनिर्माण में किया जाता है, की दशा में अपसारण की संख्या पुनर्शुष्कन की अवस्था के पश्चात् परिकलित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करे।

[सं० 293/76—के०उ०शु०]

के० डी० तायल, अवर सचिव।

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 21st December 1976

G.S.R. 939(E).—In pursuance of the second proviso to sub-rule (1) of rule 32 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Central Board of Excise and Customs No. 134/70-Central Excises, dated the 13th June, 1970, the Central Board of Excise and Customs hereby imposes the following limitations and conditions, subject to which duty paid tobacco may be carried or transported from the premises of a licensed wholesale dealer to the premises of another licensed wholesale dealer under cover of a sale-note issued by the seller, namely:—

(a) The sale-notes shall be in triplicate and serially numbered, new series of numbers being used for each calendar year. Books containing blank sale-notes shall be presented to the Range Officer for affixing his initials or stamp on each sale-note before the books are brought into use. The triplicate copy shall be retained by the seller, the duplicate shall be sent by the licensee issuing the sale-note to the Range Officer having jurisdiction over him and the original given to the buyer as substitute transport permit.

(b) Each sale-note shall contain at least the following particulars:—

(i) Date of issue;

(ii) Name, address and licence numbers of (1) seller and (2) consignee;

(iii) Name, address and licence number of the wholesale dealer from whom the seller received the tobacco;

(iv) Number, and date of—

(1) the transport permit or sale-note under which the seller received the tobacco and in the latter case, the transport permit number recorded in such sale-note, and

(2) the certificate of payment in Form D.D.—1, D.D.—2, or the application in Form A.R.—1 under which duty was paid;

(v) Number and description of packages;

(vi) Marks and numbers;

(vii) Variety of tobacco;

(viii) Rate of duty pakd;

(ix) Gross weight;

(x) Net weight;

(xi) Manner of transport;

(xii) Signature of the licensee or his agent.

(c) The seller shall endorse on the original transport permit in Form T.P.—1 or on the predecessor sale-note, the number and date of the sale-notes issued in respect of the tobacco covered by the permit or sale-note, as the case may be, and the quantity transported under each such sale-note, and shall likewise record on his sale-note similar particulars of the original transport permit or predecessor sale-note, if any.

(d) Except with the prior sanction of the Central Board of Excise and Customs sale-notes shall not be used in respect of consignments exceeding 2.5 quintals of duty-paid tobacco.

(e) An officer not below the rank of an Assistant Collector may withdraw the right to use sale-notes from any trader in his jurisdiction who has been found or suspected to have abused it or who has proved his incapacity to draw up sale-notes in the required form.

(f) Sale-notes shall not be used for the transport of tobacco on its removal from a bonded warehouse.

(g) The Collector may either withhold absolutely the right to use sale-notes from curers, licensed as wholesale dealers or allow it subject to such conditions as he may think fit to impose.

(h) A sale-note shall be a valid transport document for carrying tobacco upto one hundred kilometres or such further distance not exceeding twenty-five kilometres as may be extended by the Collector.

(i) A wholesale dealer shall, before availing the concession of the issue of sale-notes, make a written application to that effect and furnish a general bond with sufficient security or surety as directed by the proper officer binding himself to pay full duty on the tobacco covered by the sale-notes issued by him in case it is found that the duty have not been paid on such tobacco.

2. This notification shall come into force on such date as the Central Board of Excise and Customs may, by notification in the Official Gazette, appoint.

[No. 292/76-CE]

केन्द्रिय उत्पाद-शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड

केन्द्रिय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1976

सा०का०नि० 939 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 32 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसरण में और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं० 134/70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 जून, 1970 को अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित सीमाएं और शर्तें अधिरोपित करता है जिसके अधीन रहते हुए शुल्क-संदत्त तम्बाकू किसी अनुज्ञप्त थोक व्यवहारी के परिसर से विक्रेता द्वारा जारी किए

गए विक्रय-नोट के अधीन दूसरे अनुज्ञप्त थोक व्यवहारी के परिसर तक लाई या परिवहित की जाएगी, अर्थात् :—

1(क) विक्रय नोट तीन प्रतियों में होगा और क्रमानुसार संख्यांकित किया जाएगा, प्रत्येक कलेन्डर वर्ष के दौरान नई संख्यावलियां उपयोग में लाई जाएंगी । सादे विक्रय नोटों वाली पुस्तिकाएं उपयोग में लाई जाने से पूर्व रेंज अधिकारी के समक्ष प्रत्येक विक्रय नोट पर उसके आद्याक्षर के लिए या उसकी मोहर लगाने के लिए प्रस्तुत की जाएगी । तीसरी प्रति विक्रेता द्वारा रख ली जाएगी, दूसरी प्रति विक्रय नोट जारी करने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस पर अधिकारिता रखने वाले रेंज अधिकारी के पास भेज दी जाएगी और मूल प्रति क्रेता को परिवहन अनुज्ञापत्र के प्रतिस्थानी के रूप में दे दी जाएगी ।

(ख) प्रत्येक विक्रय नोट में कम से कम निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी :—

(i) जारी करने की तारीख ;

(ii) (1) विक्रेता और (2) परेषिती का नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्या

(iii) ऐसे थोक व्यवहारी का नाम पता और अनुज्ञप्ति संख्या जिससे विक्रेता को तम्बाकू प्राप्त हुई;

(iv) निम्नलिखित की संख्या और तारीख—

(1) परिवहन-अनुज्ञापत्र या विक्रय नोट जिसके अधीन विक्रेता ने तम्बाकू प्राप्त किया, विक्रय नोट की दशा में उस पर परिवहन अनुज्ञापत्र की संख्या अभिलिखित की जाएगी, और

(2) प्ररूप डी-डी 1, डी-डी 2 में संदाय का या प्ररूप ए०आर०-1 के अधीन आवेदन का प्रमाणपत्र जिसके अधीन शुल्क संदत्त किया गया;

(v) पैकेजों की संख्या और वर्णन;

(vi) चिह्न और संख्या;

(vii) तम्बाकू की किस्म;

(viii) संदत्त शुल्क की दर;

(ix) कुल भार;

(x) शुद्ध भार;

(xi) परिवहन की रीति;

(xii) अनुज्ञप्तिधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।

(ग) विक्रेता, प्ररूप टी पी-1 में मूल परिवहन अनुज्ञापत्र पर या पूर्ववर्ती विक्रय नोट पर ऐसी तम्बाकू की बाबत जो यथास्थिति अनुज्ञापत्र या विक्रय नोट के अधीन है जारी किए गए विक्रय नोट की संख्या और तारीख और ऐसे प्रत्येक विक्रय नोट के अधीन परिवहन की गई मात्रा पृष्ठांकित करेगा और उसी प्रकार अपने विक्रय नोट पर मूल परिवहन अनुज्ञापत्र या पूर्ववर्ती विक्रय नोट की समान विशिष्टियां यदि कोई हैं, अभिलिखित करेगा ।

(घ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना शुल्क संदत्त तम्बाकू के 2.5 क्विंटल से अधिक के परेषणों की बाबत विक्रय नोट उपयोग में नहीं लाए जाएंगे।

(ङ) ऐसा अधिकारी जो सहायक कलक्टर के रैंक से कम न हो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी ऐसे व्यवसायी से, जिसने विक्रय नोट का दुरुपयोग किया है या जिस पर इसका दुरुपयोग करने का संदेह है या जो अपेक्षित प्ररूप में विक्रय नोट बनाने में असमर्थ रहा है, विक्रय नोट के उपयोग का अधिकार वापस ले सकता है।

(च) किसी बंधपत्रित भाण्डागार से तम्बाकू के हटाए जाने पर विक्रय नोट का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(छ) कलक्टर, थोक व्यवहारी के रूप में अनुज्ञप्त संसाधकों को विक्रय नोट का उपयोग करने के अधिकार से पूर्णतः रोक सकता है या उसे ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे अनुज्ञात कर सकता है।

(ज) विक्रय नोट एक सौ किलोमीटर या पचीस किलोमीटर से अनधिक ऐसी और दूरी के लिये जो कलक्टर द्वारा बढ़ाई जाए, वैध परिवहन प्रलेख होगा।

(झ) कोई थोक व्यवहारी विक्रय नोट जारी करने की रियायत प्राप्त करने से पूर्व उस प्रभाव का लिखित आवेदन करेंगे और ऐसी पर्याप्त प्रतिभूति या प्रतिभू के साथ जो समुचित अधिकारी निर्दिष्ट करे अपने द्वारा जारी किए गए विक्रय नोट/नोटों के अधीन आने वाली तम्बाकू पर ऐसी दशा में जब यह पता चले कि शुल्क संदत्त तम्बाकू की आड़ में अशुल्क संदत्त तम्बाकू परिवहित की गई है, पूर्ण शुल्क संदत्त करने के लिए स्वयं को आबद्ध करने वाला एक साधारण बंधपत्र प्रस्तुत करेगा।

2. यह अधिसूचना ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगी जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

[सं० 292/76-के०उ०शु०]

G.S.R. 940(E).—In pursuance of rule 34 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Board of Excise and Customs hereby directs that in the case of unmanufactured tobacco the validity of a transport certificate or sale note shall if the transport is by means of a fechanised vehicle, be till sunset of the day of issue, and in other cases, till sunset of the day following the day of issue.

2. This notification shall come into force on such date as the Central Board of Excise and Customs may, by notification in the Official Gazette, appoint.

[No. 294/76-CE]

K. D. TAYAL, Under Secy.

सा०का०नि० 940 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 34 के अनुसरण में यह निर्देश करता है कि यदि परिवहन यंत्रीकृत यान द्वारा किया जाता है तो परिवहन प्रमाणपत्र या विक्रय नोट जारी किए जाने वाले दिन के सूर्यास्त

तक होगी और अन्य मामलों में, जारी किए जाने वाले दिन के पश्चात्वर्ती दिन के सूर्यास्त तक विधिमान्य होंगे ।

2. यह अधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी जिसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

[सं० 294/76-के०उ०शु०]

के० डी० तायल, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976